प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. **जिला–** जयपुर, **थाना–**प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो जयपुर, वर्ष–2023
प्र0इ0रि0 सं. ....316/2023........**दिनांक**.....29.12.2023

2. (i) **अधिनियम...** 13(1)(ए), 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018)
409, 120बी भा.दं.सं.
(ii) •**अधिनियम** .... **धारायें**
(iii) • **अधिनियम** .... **धारायें** ....
(iv) • **अन्य अधिनियम एवं धारायें** ....

(अ) **रोजनामचा आम रपट संख्या** ....1162............. **समय** 6.30 P.M.
(ब) **अपराध घटने का दिन** ..माह सितम्बर 2023 से.... **दिनांक** 27.12.2023 **समय** .....
(स) **थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक** ....

4. **सूचना की किस्म :– लिखित /मौखिक– लिखित**

5. **घटनास्थल** :– कार्यालय नगर पालिका विराट नगर, जिला कोटपूतली बहरोड़।
(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– बजानिब उत्तर–पूर्व करीब 90 किमी
(ब) बीट संख्या..........................**जयरामदेही सं**.................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....**जिला** ....

6. **(1)परिवादी /सूचनाकर्ता** :– जरिये सूत्र सूचना
(अ) नाम– श्री सुरेन्द्र सिंह
(ब) पिता/पति का नाम– श्री मोहन सिंह
(स) जन्म तिथी– 11.11.1967
(द) राष्ट्रीयता – भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या ....**जारी होने की तिथि**
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय – अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर
(ल) पता– मकान नं. बी–4, प्रेम नगर, झोंटवाड़ा, जयपुर।

7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –**
1. मनीषा यादव, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका पावटा तत्कालीन अतिरिक्त चार्ज नगर पालिका विराटनगर।
2. सुमिता सैनी अध्यक्ष, नगर पालिका विराट नगर।
3. प्रोपराईटर श्री भैरूराम गुर्जर फर्म मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कंपनी विराटनगर।
4. प्रोपराईटर श्री रामदयाल यादव फर्म श्री श्याम एन्टरप्राईजे विराटनगर।
5. रिंकू यादव, कैशियर नगर पालिका पावटा व अन्य।

8. **परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–**..........
9. **चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)**...
10. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य–** 59,27,150 रूपये।
11. **पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)** ....
12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये):–**

मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को विश्वसनीय सूत्रो से सूचना मिली है कि नगरपालिका विराटनगर के अधिशारी अधिकारी मनीषा यादव, नगरपालिका अध्यक्षा सुमिता सैनी व नगरपालिका अध्यक्ष के पति नरेन्द्र सैनी, नगरपालिका पावटा प्रागपुरा के केशियर रिंकु यादव व उसका सहायक मुखराम गुर्जर द्वारा फर्जी टेण्डर (अन्य नगरपालिका के नाम से

टेण्डर) जारी किया जाकर अपने चहेते ठेकेदार को कार्यादेश दिया जाकर बिना सामान क्रय किये 60 लाख रूपये का भुगतान किया गया है। वर्तमान अधिशाषी अधिकारी मनीषा यादव के पास नगरपालिका पावटा-प्रागपुरा का अतिरिक्त कार्यभार है जो विराटनगर के टेण्डर नगरपालिका पावटा की आईडी से जारी किये गये है। उक्त निविदा के लिये किये गये भुगतान हेतु किसी प्रकार का सामान क्रय नही किया गया है जो नगरपालिका विराटनगर के स्टोर से ज्ञात किया जा सकता है। उक्त कार्य के सम्बन्ध में किसी पार्षद को कोई सूचना नही है जबकि 10 लाख से अधिक कार्य करवाने से पहले बोर्ड के सदस्यो की अनुमति अनिवार्य होती है। उक्त कार्य की फाइले नगरपालिका विराटनगर में ना होकर नगरपालिका पावटा प्रागपुरा मे है। इस प्रकार विराटनगर नगरपालिका अधिकारी/कर्मचारियो द्वारा फर्जी टेण्डर का नया फार्मूला निकाला गया है जिससे किसी भी संवेदक को कोई पता भी ना चले और टेण्डर भी हो जावे और अपने चहेते ठेकेदारो को सामान का टेण्डर जारी कर अधिक कमीशन पर कार्यादेश जारी कर देते है। अधिशासी अधिकारी द्वारा नगरपालिका विराटनगर के टेण्डर नगरपालिका पावटा की आईडी से किये जाने के सम्बन्ध में नगर पालिका विराटनगर के भुगतान विवरण की फोटो प्रति सूत्र द्वारा प्राप्त किये गये, जिसमें नगर पालिका विराट नगर के 6 कार्यादेशों के बिलों का भुगतान विवरण क्रम संख्या 5 से 10 तक अंकित है।

इस प्रकार नगरपालिका विराटनगर के अधिकारियों/कर्मचारियो द्वारा विराटनगर नगरपालिका के कार्यो का फर्जी टेण्डर अन्य नगरपालिका के नाम से जारी किया जाकर चहेते ठेकेदार को कार्यादेश दिया जाकर बिना सामान क्रय किये भुगतान किया जाकर भ्रष्टाचार व पद का दुरूपयोग किया जा रहा है। इस पर कार्यालय के पत्रांक 1917 दिनांक 26.12.2023 द्वारा सूत्र सूचना पंजीबद्ध करने हेतु श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को निवेदन करने पर कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 17525-26 दिनांक 27.12.2023 द्वारा सूत्र सूचना संख्या 01/2023 दर्ज किये जाने पर

मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त सूत्र सूचना कि जांच में उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार मय श्री गणेश राम सैनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम, श्री लोकेश कुमार मीणा सहायक लेखााधिकारी प्रथम, श्री मूल चन्द पुलिस निरीक्षक, जाब्ता व मय सरकारी वाहन एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के कार्यालय से समय 09:00 ए.एम. पर रवाना होकर समय 11:20 ए.एम. पर कार्यालय नगरपालिका विराटनगर जिला कोटपूतली बहरोड़ पहुंचे जहां श्री महेन्द्र कुमार गुर्जर कनिष्ठ अभियन्ता उपस्थित मिले जिनको मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान का परिचय देकर आने का प्रयोजन बताया एवं जांच के लिये सहमति चाही तो श्री महेन्द्र कुमार कनिष्ठ अभियंता ने अपनी सहमति दी व बताया कि वर्तमान में नगरपालिका में ईओ के पद पर श्री तनवीर सिंह तहसीलदार विराटनगर के पास अतिरिक्त चार्ज है जो दिनांक 26.12.2023 से अवकाश पर है जिसके कारण ईओ का चार्ज आज मेरे पास है। जिनसे सूत्र सूचना के सम्बंध में स्टोर रूम प्रभारी के बारे मे पूछने पर बताया कि श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक इसके प्रभारी है जो आज कार्यालय में नही आये है उन्होने आज अवकाश का प्रार्थना पत्र भिजवाया है जिस पर स्टोर प्रभारी अन्य जिसके पास चार्ज है बाबत पूछा तो बताया कि श्री राहुल शर्मा के अलावा अन्य किसी के पास स्टोर शाखा का प्रभार नही है जिस पर केश शाखा प्रभारी के बारे में पुछने पर श्री महेन्द्र कुमार ने बताया कि कैश शाखा का प्रभारी भी श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक ही है। जिस पर सूत्र सूचना में कार्यवाही हेतु उपलब्ध रिकार्ड के बारे में श्री महेन्द्र कुमार जी ने बताया कि इस सम्बंध में वे ही उपलब्ध करवायेगे। जिनसे अनुरोध किया गया कि श्री राहुल शर्मा से आप वार्ता कर कार्यालय बुलवायें। जिस पर वक्त 12:30 पीएम पर श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक उपस्थित हुए जिनसे सूत्र सूचना के संलग्न पत्र में क्रम संख्या 5 से 10 की टेण्डर पत्रावलियां चाहने पर श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक ने निकालकर पेश की व बताया कि उक्त पत्रावलिया मुझे 10 दिन पहले पावटा का कर्मचारी कार्यालय में देकर गया था नाम पता पूछने पर बताया कि मैं उसका नाम नही जानता। वह पावटा नगरपालिका में अधिशासी अधिकारी के साथ ही रहता है। उक्त पत्रावलियों को श्री महेन्द्र कुमार कनिष्ठ अभियन्ता, श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक दोनों स्वतंत्र गवाह व ब्यूरों से साथ आये श्री लोकेश कुमार मीणा सहायक लेखाधिकारी प्रथम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों की उपस्थित में पत्रावली का क्रमवार अवलोकन किया जाना शुरू किया गया-

<u>नम्बर 01 पत्रावली सूत्र सूचना के संलग्न पत्र में 05 नम्बर कमांक पर दर्ज है–</u>

उक्त पत्रावली पीले रंग के फाईल कवर में संधारित है जिस पर फाइल नम्बर बॉल पैन से देव वीटीआर पोल वेण्ड वेण्ड 12 वोल्ट सप्लाई कार्य अंकित है। जिसके अन्दर 01 से 47 तक पेज लगे हुए है जिसमें पृष्ठ संख्या 01 से 03 तक नगरपालिका मण्डल विराटनगर कोटपुतली बहरोड राज. आदेश या कार्यवाही हस्ताक्षर सहित टाईपशुदा अंकित है जिसके प्रथम पृष्ठ पर यू–नोट जिरागें दिपावली के त्यौहार पर पालिका में पोल वेण्ड नट बोल्ट सप्लाई कार्य टाईप है जिसके नीचे अग्रेसित कर्मी के हस्ताक्षर नहीं है ना ही तारीख अंकित है। नीचे अधिशाषा अधिकारी व अध्यक्ष के हस्ताक्षर है। जो श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक ने अधिशाषी अधिकारी के रूप में मनिषा यादव व अध्यक्ष के स्थान पर श्रीमती सुमिता सैनी के हस्ताक्षर होना बताये है। अधिशाषी अधिकारी द्वारा स्टोर लिपिक को नोटशीट बढायी गयी उस पर स्टोर लिपिक के नीचे टाईप शुदा टिप्पणी अंकित है किन्तु हस्ताक्षर व दिनांक नहीं है ना ही स्टोर लिपिक के द्वारा क्रोस किया हुआ है। नोटशीट पर पैरा कमांक नही है। उक्त पृष्ठ संख्या 02 व 03 पर अध्यक्ष व अधिशाषी अधिकारी के पृथक पृथक जगह पर हस्ताक्षर है किन्तु स्टोर लिपिक के स्थान पर किसी के भी हस्ताक्षर नही है। पृष्ठ संख्या 04 में दर अनुमोदन कमेटी के सदस्य में अधिशाषी अधिकारी, अध्यक्ष, जेईएन/एसआई, लेखाकार, शाखा प्रभारी, टाईपशुदा अंकित है किन्तु अधिशाषी अधिकारी व अध्यक्ष के हस्ताक्षर के अलावा अन्य तीन कमेटी सदस्यों के हस्ताक्षर नही है ना ही दिनांक अंकित है। पृष्ठ संख्या 05 पर नेगोरियशन के लिये पत्रावली अधिशाषी अधिकारी को प्रस्तुत की है लेकिन पत्रावली किसी कार्मिक द्वारा बढायी नही गयी है। नेगोसियशन की दर जो अनुमोदित की गयी है उस कमेंटी के सदस्य के रूम में ईओ के हस्ताक्षर है एवं शेष कमेटी के चार सदस्यो के हस्ताक्षर नही है ना ही तारीख अंकित है। इसमें चार जगह अधिशाषी अधिकारी के हस्ताक्षर है। पृष्ठ संख्या 06 पर बॉल पेन से अंकित है कि पोल बेण्ड नट बोल्ट सामान सप्लाई कर बिल प्रस्तुत किया गया है जिसका इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :– नोटशीट पर अग्रेषित करने वाले किसी भी कार्मिक का उल्लेख/हस्ताक्षर नही है व ना ही अधिशासी अधिकारी को बढाने पर अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर है। उक्त लिखावट श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि क्या यह आपकी हस्तलिखित है जिन्होने उक्त लिखावट देखकर कहा कि यह मेरी लिखावट नही है। पृष्ठ संख्या 07 व 08 आदेशिका की खाली नोटशीट है। पेज नम्बर 09 नगरपालिका विराटनगर निविदा सूचना कमांक 448 दिनांक 11.09.2023 की फोटोप्रति है। पेज नम्बर 10 व 11 पर नगरपालिका विराटनगर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कमांक 444 दिनांक 11.09.2023 की फोटोप्रति है। पेज नम्बर 12 पर नगरपालिका विराटनगर पालिका में पोल बेण्ड नट बोल्ट सप्लाई कार्य सम्बन्धित निविदा प्रारूप मैसर्स आर.एस. एन्टरप्राईजेज द्वारा भरा गया फार्म जिस पर ना तो निविदादाता के हस्ताक्षर है ना ही अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर जयपुर के हस्ताक्षर है केवल अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर की दो जगह मोहर है। पृष्ठ संख्या 13 से 21 तक फर्म आर.एस. एन्टरप्राइजेज के जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्योग रजिस्ट्रेशन, संस्था के आधार की छायाप्रतियां है। पृष्ठ संख्या 22 पर फर्म आर.एस. एन्टरप्राइजेज की तरफ से दिनांक 18.09.2023 को अमानतन राशि नगद 19800/– रूपये की रसीद की छायाप्रति है जिस पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर की मोहर पर हस्ताक्षर बाबत पूछने पर श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक से पूछने पर बताया कि यह हस्ताक्षर रिंकू यादव कैशियर नगरपालिका पावटा के है। पृष्ठ संख्या 23 फर्म आर.एस. एन्टरप्राइजेज का अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर को सम्बोधित सफेद रंग का खुला हुआ लिफाफा संलग्न है जिस पर श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि यह हस्ताक्षर किसके है तो उन्होने देखकर बताया कि यह हस्ताक्षर मनीषा यादव अधिशासी अधिकारी विराटनगर के है एवं अध्यक्ष नगरपालिका श्रीमती सुमिता सैनी के है जो मूल हस्ताक्षर है। पेज नम्बर 24 पर नगरपालिका विराटनगर पालिका में पोल बेण्ड नट बोल्ट सप्लाई कार्य सम्बन्धित निविदा प्रारूप श्री श्याम एन्टरप्राइजेज द्वारा भरा गया फार्म जिस पर दो जगह निविदादाता के मूल हस्ताक्षर है तथा अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर जयपुर की दो जगह मोहर है परन्तु हस्ताक्षर नही है। पृष्ठ संख्या 25 से 30 तक फर्म श्री श्याम एन्टरप्राइजेज के प्रोपराईटर रामदयाल यादव के जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्योग रजिस्ट्रेशन, संस्था के आधार की छायाप्रतियां है। पृष्ठ संख्या 31 पर फर्म श्री श्याम एन्टरप्राइजेज की तरफ से दिनांक 18.09.2023 को अमानतन राशि नगद 19800/– रूपये की रसीद की

छायाप्रति है जिस पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर की मोहर पर किसी के हस्ताक्षर नही है। पृष्ठ संख्या 32 फर्म श्री श्याम एन्टरप्राइजेज का अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर को सम्बोधित पीले रंग का खुला हुआ लिफाफा संलग्न है जिस पर श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि यह हस्ताक्षर किसके है तो उन्होने देखकर बताया कि यह हस्ताक्षर मनीषा यादव अधिशासी अधिकारी विराटनगर के है एवं अध्यक्ष नगरपालिका श्रीमती सुमिता सैनी के है जो मूल हस्ताक्षर है। पेज नम्बर 33 पर नगरपालिका विराटनगर पालिका में पोल बेण्ड नट बोल्ट सप्लाई कार्य सम्बन्धित निविदा प्रारूप मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा भरा गया फार्म जिस पर दो जगह निविदादाता के मूल हस्ताक्षर है तथा दो जगह पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर जयपुर की मोहर व हस्ताक्षर है। उक्त हस्ताक्षर के बारे में श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि यह हस्ताक्षर किसके है तो उन्होने देखकर बताया कि यह छायाप्रति हस्ताक्षर मनीषा यादव अधिशासी अधिकारी विराटनगर के है व यह कार्यालय मोहर है। पृष्ठ संख्या 34 से 39 तक फर्म मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी भैरू राम गुर्जर के जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्योग रजिस्ट्रेशन, संस्था के आधार की छायाप्रतियां है। पृष्ठ संख्या 40 पर फर्म मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की तरफ से दिनांक 18.09.2023 को अमानतन राशि नगद 19800/– रूपये की रसीद की छायाप्रति है जिस पर हस्ताक्षर बाबत् श्री राहुल शर्मा से पूछने पर बताया कि यह हस्ताक्षर मेरे नही है यह हस्ताक्षर रिंकू कैशियर, नगरपालिका पावटा के है। पृष्ठ संख्या 41 फर्म मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी का अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर को सम्बोधित सफेद रंग का खुला हुआ लिफाफा संलग्न है जिस पर श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि यह हस्ताक्षर किसके है तो उन्होने देखकर बताया कि यह हस्ताक्षर मनीषा यादव अधिशासी अधिकारी विराटनगर के है जो मूल हस्ताक्षर है। पृष्ठ संख्या 42 से 43 पर निविदा सूचना के एसपीपीपी पोर्टल पर अपलोड किये जाने सम्बन्धित दस्तावेज की प्रतिलिपि संलग्न है। पृष्ठ संख्या 44 ई–निविदा सूचना की प्रतिलिपि की छायाप्रति कमांक 473 दिनांक 14.09.2023 है। पृष्ठ संख्या 45 मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को जारी किये गये कार्यादेश की मूल प्रति कमांक 461 दिनांक 21.09.2023 है जिस पर अध्यक्ष की मोहर लगी हुई है परन्तु हस्ताक्षर नही है व दो जगह अधिशासी अधिकारी की मोहर लगी हुई है जिनके उपर हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर बाबत् श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक ने मनीषा अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर होना बताये है। उक्त कार्यादेश किसके हाथ से भरा गया है तो स्वयं की हस्तलिपि में नही होना श्री राहुल शर्मा ने बताया। पृष्ठ संख्या 46 मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को नेगोशियेशन के लिये लिखे गये पत्र की मूल प्रति है जो पत्र कमांक 405 दिनांक 19.09.2023 के द्वारा जारी है जिस पर अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर के बारे में पूछने पर श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक से पूछने पर बताया कि ये हस्ताक्षर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी मनीषा के है। उक्त कार्यादेश किसके हाथ से भरा गया है तो श्री राहुल शर्मा ने स्वयं की हस्तलिपि में नही होना बताया। पृष्ठ संख्या 47 पर कार्यालय नगरपालिका विराटनगर के बिल वाउचर की छायाप्रति है जिस पर हस्ताक्षर बाबत पूछने पर श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक ने अध्यक्ष के रूप में सुमिता व अधिशासी अधिकारी के रूप में मनीषा के हस्ताक्षर होना बताया तथा नीचे 9,45,600/– रूपये अंकित है।

नम्बर 02 पत्रावली सूत्र सूचना के संलग्न पत्र में 06 नम्बर कमांक पर दर्ज है–

उक्त पत्रावली पीले रंग के फाईल कवर में संधारित है जिस पर फाइल नम्बर पेन से श्याम व पैन से वीटीआर फेज वायर 25x25 अंकित है। जिसके अन्दर 01 से 47 तक पेज लगे हुए है जिसमें पृष्ठ संख्या 01 से 03 तक नगरपालिका मण्डल विराटनगर कोटपुतली बहरोड राज. आदेश या कार्यवाही हस्ताक्षर सहित टाईपशुदा अंकित है जिसके प्रथम पृष्ठ पर यू–नोट जिसमें दिपावली के त्यौहार पर पालिका में फैज वायर 25x25 सप्लाई कार्य टाईप है जिसके नीचे अग्रेसित कर्मी के हस्ताक्षर नहीं है ना ही तारीख अंकित है। नीचे अधिशाषा अधिकारी व अध्यक्ष के हस्ताक्षर है। जो श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक ने अधिशाषी अधिकारी के रूप में मनिषा यादव व अध्यक्ष के स्थान पर श्रीमती सुमिता सैनी के हस्ताक्षर होना बताये है। अधिशाषी अधिकारी द्वारा स्टोर लिपिक को नोटशीट बढायी गयी उस पर स्टोर लिपिक के नीचे टाईप शुदा टिप्पणी अंकित है। किन्तु हस्ताक्षर व दिनांक नहीं है। ना ही स्टोर लिपिक के द्वारा कोस किया हुआ है। नोटशीट पर पैरा कमांक नही है। उक्त पृष्ठ संख्या 02 व 03 पर अध्यक्ष व अधिशाषी अधिकारी के पृथक–पृथक जगह पर

हस्ताक्षर है किन्तु स्टोर लिपिक के स्थान पर किसी के भी हस्ताक्षर नही है। पृष्ठ संख्या 04 में दर अनुमोदन कमेटी के सदस्य में अधिशाषी अधिकारी, अध्यक्ष, जेईएन/एसआई, लेखाकार, शाखा प्रभारी, टाईपशुदा अंकित है किन्तु अधिशाषी अधिकारी व अध्यक्ष के हस्ताक्षर के अलावा अन्य तीन कमेटी सदस्यों के हस्ताक्षर नही है ना ही दिनांक अंकित है। पृष्ठ संख्या 05 पर नेगोसियशन के लिये पत्रावली अधिशाषी अधिकारी को प्रस्तुत की है। लेकिन पत्रावली किस कार्मिक द्वारा बढायी गयी है के हस्ताक्षर नही है। नेगोसियशन की दर जो अनुमोदित की गयी है उस कमेटी के सदस्य के रूम में ईओ व अध्यक्ष के हस्ताक्षर है एवं शेष कमेटी के सदस्यो के हस्ताक्षर नही है ना ही तारीख अंकित है। इसमें चार जगह अधिशाषी अधिकारी व एक जगह अध्यक्ष के हस्ताक्षर है। पृष्ठ संख्या 06 पर अंकित है कि फेज वायर सप्लाई कार्य किया गया है जिसका इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया है तथा सामान सप्लाई कर बिल प्रस्तुत किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:- नोटशीट पर बॉल पेन से लिखी हुई लिखावट है जिस पर अग्रेषित करने वाले किसी भी कार्मिक का उल्लेख/हस्ताक्षर नही है व ना ही अधिशासी अधिकारी को बढाने पर अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर है। उक्त लिखावट श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि क्या यह आपकी हस्तलिखित है जिन्होने उक्त लिखावट देखकर कहा कि यह मेरी लिखावट नही है। पृष्ठ संख्या 07 व 08 आदेशिका की खाली नोटशीट है। पेज नम्बर 09 नगरपालिका विराटनगर निविदा सूचना कमांक 448 दिनांक 11.09.2023 की फोटोप्रति है। पेज नम्बर 10 व 11 पर नगरपालिका विराटनगर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कमांक 440 दिनांक 11.09.2023 की फोटोप्रति है। पेज नम्बर 12 पर नगरपालिका विराटनगर पालिका में फेज वायर सम्बन्धित निविदा प्रारूप मैसर्स आर.एस. एन्टरप्राईजेज द्वारा भरा गया फार्म जिस पर दो जगह निविदादाता के हस्ताक्षर है तथा अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर जयपुर मोहर व हस्ताक्षर है जो छायाप्रति है। उक्त हस्ताक्षर के बारे में श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि यह हस्ताक्षर किसके है तो उन्होने देखकर बताया कि यह छायाप्रति हस्ताक्षर मनीषा यादव अधिशासी अधिकारी विराटनगर के है व यह कार्यालय मोहर है। उक्त निविदा फार्म मूल ना होकर प्रतिलिपि है। पृष्ठ संख्या 13 से 21 तक फर्म आर.एस. एन्टरप्राइजेज के जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्योग रजिस्ट्रेशन, संस्था के आधार की छायाप्रतियां है। पृष्ठ संख्या 22 पर फर्म आर.एस. एन्टरप्राइजेज की तरफ से दिनांक 18.09.2023 को अमानतन राशि नगद 19800/- रूपये की रसीद की छायाप्रति है जिस पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर की मोहर पर हस्ताक्षर बाबत पूछने पर श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक से पूछने पर बताया कि यह हस्ताक्षर रिंकू यादव कैशियर नगरपालिका पावटा के है। पृष्ठ संख्या 23 फर्म आर.एस. एन्टरप्राइजेज का अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर को सम्बोधित सफेद रंग का खुला हुआ लिफाफा संलग्न है जिस पर श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि यह हस्ताक्षर किसके है तो उन्होने देखकर बताया कि यह हस्ताक्षर मनीषा यादव अधिशासी अधिकारी विराटनगर के है एवं अध्यक्ष नगरपालिका श्रीमती सुमिता सैनी के है जो मूल हस्ताक्षर है। पेज नम्बर 24 पर नगरपालिका विराटनगर पालिका में फेज वायर सम्बन्धित निविदा प्रारूप श्री श्याम एन्टरप्राइजेज द्वारा भरा गया फार्म जिस पर दो जगह निविदादाता के मूल हस्ताक्षर है तथा अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर जयपुर मोहर व हस्ताक्षर है जो छायाप्रति है। उक्त हस्ताक्षर के बारे में श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि यह हस्ताक्षर किसके है तो उन्होने देखकर बताया कि यह छायाप्रति हस्ताक्षर मनीषा यादव अधिशासी अधिकारी विराटनगर के है व यह कार्यालय मोहर है। उक्त निविदा फॉर्म मूल ना होकर प्रतिलिपि है। पृष्ठ संख्या 25 पर फर्म श्री श्याम एन्टरप्राइजेज की तरफ से दिनांक 18.09.2023 को अमानत राशि नगद 19800/- रूपये की रसीद की छायाप्रति है जिस पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर की मोहर पर किसी के हस्ताक्षर नही है। पृष्ठ संख्या 26 से 31 तक फर्म श्री श्याम एन्टरप्राइजेज के जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्योग रजिस्ट्रेशन, संस्था के आधार की छायाप्रतियां है। पृष्ठ संख्या 32 फर्म श्री श्याम एन्टरप्राइजेज का अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर को सम्बोधित पीले रंग का खुला हुआ लिफाफा संलग्न है जिस पर श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि यह हस्ताक्षर किसके है तो उन्होने देखकर बताया कि यह हस्ताक्षर मनीषा यादव अधिशासी अधिकारी विराटनगर के है एवं अध्यक्ष नगरपालिका श्रीमती सुमिता सैनी के है जो मूल हस्ताक्षर है। पेज नम्बर 33 पर नगरपालिका विराटनगर पालिका में फेज वायर सम्बन्धित निविदा प्रारूप मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा भरा गया फार्म

जिस पर दो जगह निविदादाता के मूल हस्ताक्षर है तथा अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर जयपुर मोहर व हस्ताक्षर है जो छायाप्रति है। उक्त हस्ताक्षर के बारे में श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि यह हस्ताक्षर किसके है तो उन्होने देखकर बताया कि यह छायाप्रति हस्ताक्षर मनीषा यादव अधिशासी अधिकारी विराटनगर के है व यह कार्यालय मोहर है। उक्त निविदा फॉर्म मूल ना होकर प्रतिलिपि है। पृष्ठ संख्या 34 से 39 तक फर्म मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्योग रजिस्ट्रेशन, संस्था के आधार की छायाप्रतियां है। पृष्ठ संख्या 40 पर फर्म मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की तरफ से दिनांक 18.09.2023 को अमानतन राशि नगद 19800/– रूपये की रसीद की छायाप्रति है जिस पर हस्ताक्षर बाबत् श्री राहुल शर्मा से पूछने पर बताया कि यह हस्ताक्षर मेरे नही है यह हस्ताक्षर रिंकू कैशियर, नगरपालिका पावटा के है। पृष्ठ संख्या 41 फर्म मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी का अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर को सम्बोधित सफेद रंग का खुला हुआ लिफाफा संलग्न है जिस पर श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि यह हस्ताक्षर किसके है तो उन्होने देखकर बताया कि यह हस्ताक्षर मनीषा यादव अधिशासी अधिकारी विराटनगर के है एवं अध्यक्ष नगरपालिका श्रीमती सुमिता सैनी के है जो मूल हस्ताक्षर है। पृष्ठ संख्या 42 से 43 पर निविदा सूचना के एसपीपीपी पोर्टल पर अपलोड किये जाने सम्बन्धित दस्तावेज की प्रतिलिपि संलग्न है। पृष्ठ संख्या 44 ई–निविदा सूचना की प्रतिलिपि की छायाप्रति कमांक 473 दिनांक 14.09.2023 है। पृष्ठ संख्या 45 श्री श्याम एन्टरप्राइजेज को जारी किये गये कार्यादेश की मूल प्रति कमांक 497 दिनांक 21.09.2023 है जिस पर अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के रूप में श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक ने सुमिता व मनीषा के हस्ताक्षर होना बताये है। उक्त कार्यादेश किसके हाथ से भरा गया है तो स्वयं की हस्तलिपि में नही होना श्री राहुल शर्मा ने बताया। पृष्ठ संख्या 46 श्री श्याम एन्टरप्राइजेज को नेगोशियेशन के लिये लिखे गये पत्र की मूल प्रति है जो पत्र कमांक 406 दिनांक 19.09.2023 के द्वारा जारी है जिस पर अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर के बारे में पूछने पर श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक से पूछने पर बताया कि ये हस्ताक्षर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी मनीषा के है। उक्त आदेश किसके हाथ से भरा गया है तो श्री राहुल शर्मा ने स्वयं की हस्तलिपि में नही होना बताया। पृष्ठ संख्या 47 पर कार्यालय नगरपालिका विराटनगर के आकस्मिक व्यय बिल की छायाप्रति है जिस पर हस्ताक्षर बाबत पूछने पर श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक ने अध्यक्ष के रूप में सुमिता व अधिशासी अधिकारी के रूप में मनीषा के हस्ताक्षर होना बताया तथा नीचे 9,49,248/– रूपये अंकित है।

नम्बर 03 पत्रावली सूत्र सूचना के संलग्न पत्र में 07 नम्बर कमांक पर दर्ज है–

उक्त पत्रावली गुलाबी रंग के फाईल कवर में संधारित है जिस पर फाइल नम्बर बॉल पैन से श्याम केरीबेग वीटीआर अंकित है। जिसके अन्दर 01 से 50 तक पेज लगे हुए है जिसमें पृष्ठ संख्या 01 से 03 तक नगरपालिका मण्डल विराटनगर कोटपुतली बहरोड राज. आदेश या कार्यवाही हस्ताक्षर सहित टाईपशुदा अंकित है जिसके प्रथम पृष्ठ पर यू–नोट जिसमें दिपावली के त्यौहार पर पालिका में क्लॉथ केरी बेग सप्लाई कार्य अंकित है जिसके नीचे अग्रेसित कर्मी के हस्ताक्षर नहीं है ना ही तारीख अंकित है। नीचे अधिशाषी अधिकारी व अध्यक्ष के हस्ताक्षर है। जो श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक ने अधिशाषी अधिकारी के रूप में मनिषा यादव व अध्यक्ष के स्थान पर श्रीमती सुमिता सैनी के हस्ताक्षर होना बताये है। अधिशाषी अधिकारी द्वारा स्टोर लिपिक को नोटशीट बढायी गयी उस पर स्टोर लिपिक के नीचे टाईप शुदा टिप्पणी अंकित है किन्तु हस्ताक्षर व दिनांक नहीं है ना ही स्टोर लिपिक के द्वारा कोस किया हुआ है। नोटशीट पर पैरा कमांक नही है। उक्त पृष्ठ संख्या 02 व 03 पर अध्यक्ष व अधिशाषी अधिकारी के पृथक पृथक जगह पर हस्ताक्षर है किन्तु स्टोर लिपिक के स्थान पर किसी के भी हस्ताक्षर नही है। पृष्ठ संख्या 04 में दर अनुमोदन कमेटी के सदस्य में अधिशाषी अधिकारी, अध्यक्ष, जेईएन/एसआई, लेखाकार, शाखा प्रभारी, टाईपशुदा अंकित है किन्तु अधिशाषी अधिकारी व अध्यक्ष के हस्ताक्षर के अलावा कमेटी के अन्य तीन सदस्यों के हस्ताक्षर नही है ना ही दिनांक अंकित है। पृष्ठ संख्या 05 पर नेगोसियशन के लिये पत्रावली अधिशाषी अधिकारी को प्रस्तुत की है लेकिन पत्रावली किसी कार्मिक द्वारा बढायी नही गयी है। नेगोसियशन की दर जो अनुमोदित की गयी है उस कमेंटी के सदस्य के रूम मे ईओ एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर है एवं शेष कमेटी के तीन सदस्यो के हस्ताक्षर नही है ना ही तारीख अंकित है। इसमें चार जगह अधिशाषी अधिकारी के हस्ताक्षर है। पृष्ठ संख्या 06 पर बॉल पेन से अंकित है कि डबल सिलाई क्लॉथ

केरी बेग सामान सप्लाई कर बिल प्रस्तुत किया गया है जिसका इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :– नोटशीट पर अग्रेषित करने वाले किसी भी कार्मिक का उल्लेख/हस्ताक्षर नही है व ना ही अधिशासी अधिकारी को बढाने पर अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर है। उक्त लिखावट श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि क्या यह आपकी हस्तलिखित है जिन्होने उक्त लिखावट देखकर कहा कि यह मेरी लिखावट नही है। पृष्ठ संख्या 07 व 08 आदेशिका की खाली नोटशीट है। पेज नम्बर 09 नगरपालिका विराटनगर निविदा सूचना कमांक 439 दिनांक 11.09.2023 की फोटोप्रति है जिस पर नगरपालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर है। पेज नम्बर 10 पर पालिका में क्लॉथ केरी बेग सप्लाई कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कमांक 437 दिनांक 11.09.2023 की फोटोप्रति है जिस पर भी अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर है। पेज नम्बर 11 व 12 पर पालिका के जोन नं. 1 में लोहे के बड़े डस्टबीन सप्लाई कार्य व पालिका के जोन नं. 02 में लोहे के बड़े डस्टबीन सप्लाई कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कमांक 437 दिनांक 11.09.2023 की फोटोप्रति है जिस पर भी अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर है। पेज नम्बर 13 पर नगरपालिका विराटनगर पालिका में पालिका में क्लॉथ केरी बेग सप्लाई कार्य सम्बन्धित निविदा प्रारूप मैसर्स आर.एस. एन्टरप्राईजेज द्वारा भरा गया फार्म जिस पर निविदादाता के हस्ताक्षर नही है अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर जयपुर के हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर के सम्बन्ध में श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक ने बताया कि यह हस्ताक्षर अधिशासी अधिकारी मनीषा यादव के है। पृष्ठ संख्या 14 से 22 तक फर्म आर.एस. एन्टरप्राइजेज राम सिंह लोमोड़ के जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्योग रजिस्ट्रेशन, संस्था के आधार की छायाप्रतियां है। पृष्ठ संख्या 23 पर फर्म आर.एस. एन्टरप्राइजेज की तरफ से दिनांक 18.09.2023 को अमानत राशि नगद 24750/– रूपये की रसीद की छायाप्रति है जिस पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर की मोहर पर हस्ताक्षर बाबत पूछने पर श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक से पूछने पर बताया कि यह हस्ताक्षर रिंकू यादव कैशियर नगरपालिका पावटा के है। पृष्ठ संख्या 24 सफेद रंग का खुला हुआ लिफाफा संलग्न है जिस पर ना तो प्रेषित करने वाले का नाम पता अंकित है और ना ही किसको प्रेषित किया गया है का नाम पता अंकित है मात्र दो जगह हस्ताक्षर है जिनके लिये श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि यह हस्ताक्षर किसके है तो उन्होने देखकर बताया कि यह हस्ताक्षर मनीषा यादव अधिशासी अधिकारी विराटनगर एवं अध्यक्ष नगरपालिका श्रीमती सुमिता सैनी के है जो मूल हस्ताक्षर है। पेज नम्बर 25 पर नगरपालिका विराटनगर पालिका में क्लॉथ कैरी बेग सप्लाई कार्य सम्बन्धित निविदा प्रारूप श्री श्याम एन्टरप्राइजेज द्वारा भरा गया फार्म जिस पर निविदादाता के हस्ताक्षर नही है तथा अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर जयपुर की दो जगह मोहर है जिन पर हस्ताक्षर है। पृष्ठ संख्या 26 से 31 तक फर्म श्री श्याम एन्टरप्राइजेज के प्रोपराईटर रामदयाल यादव के जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्योग रजिस्ट्रेशन, संस्था के आधार की छायाप्रतियां है। पृष्ठ संख्या 32 पर फर्म श्री श्याम एन्टरप्राइजेज की तरफ से दिनांक 18.09. 2023 को अमानत राशि नगद 24750/– रूपये की रसीद की छायाप्रति है जिस पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर की मोहर पर अंकित हस्ताक्षर के बारे में श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि यह हस्ताक्षर किसके है तो उन्होने देखकर बताया कि यह हस्ताक्षर रिंकू यादव कैशियर पावटा के है। पृष्ठ संख्या 33 पर पीले रंग का खुला हुआ लिफाफा संलग्न है जिस पर ना तो प्रेषित करने वाले का नाम पता अंकित है और ना ही किसको प्रेषित किया गया है का नाम पता अंकित है मात्र एक जगह हस्ताक्षर है जिनके लिये श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि यह हस्ताक्षर किसके है तो उन्होने देखकर बताया कि यह हस्ताक्षर सुमिता सैनी अध्यक्ष नगरपालिका विराटनगर के है जो मूल हस्ताक्षर है। पेज नम्बर 34 पर नगरपालिका विराटनगर पालिका में क्लॉथ केरी बेग सप्लाई कार्य सम्बन्धित निविदा प्रारूप मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा भरा गया फार्म जिस पर दोनो जगह निविदादाता के हस्ताक्षर नही है तथा दो जगह पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर जयपुर की मोहर व हस्ताक्षर है। उक्त हस्ताक्षर के बारे में श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि यह हस्ताक्षर किसके है तो उन्होने देखकर बताया कि यह छायाप्रति हस्ताक्षर मनीषा यादव अधिशासी अधिकारी विराटनगर के है व यह कार्यालय मोहर है। पृष्ठ संख्या 35 से 40 तक फर्म मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी भैरू राम गुर्जर के जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्योग रजिस्ट्रेशन, संस्था के आधार की छायाप्रतिया है। पृष्ठ संख्या 41 पर फर्म

मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की तरफ से दिनांक 18.09.2023 को अमानतन राशि नगद 24750/– रूपये की रसीद की छायाप्रति है जिस पर हस्ताक्षर बाबत् श्री राहुल शर्मा से पूछने पर बताया कि यह हस्ताक्षर मेरे नही है यह हस्ताक्षर रिंकू कैशियर, नगरपालिका पावटा के है। पृष्ठ संख्या 42 फर्म मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी का अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर को सम्बोधित सफेद रंग का खुला हुआ लिफाफा संलग्न है यह लिफाफा किसके द्वारा प्रेषित किया गया है अंकित नही है जिस पर दो जगह अंकित हस्ताक्षर बाबत् श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि यह हस्ताक्षर किसके है तो उन्होने देखकर बताया कि यह हस्ताक्षर मनीषा यादव अधिशासी अधिकारी विराटनगर व नगरपालिका अध्यक्ष सुमिता सैनी के है जो मूल हस्ताक्षर है। पृष्ठ संख्या 43 से 45 पर निविदा सूचना के एसपीपीपी पोर्टल पर अपलोड किये जाने सम्बन्धित दस्तावेज की प्रतिलिपि संलग्न है। पृष्ठ संख्या 46 ई–निविदा सूचना की प्रतिलिपि की छायाप्रति कमांक 472 दिनांक 14.09.2023 है जिस पर श्री राहुल शर्मा ने अधिशासी अधिकारी मनीषा यादव के हस्ताक्षर होना बताये है। पृष्ठ संख्या 47–48 मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को जारी किये गये कार्यादेश की मूल प्रति कमांक 469 दिनांक 21.09. 2023 है जिस पर अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी की मोहर लगी हुई है एवं हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर बाबत् श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक ने मनीषा अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष सुमिता सैनी के हस्ताक्षर होना बताये है। उक्त कार्यादेश किसके हाथ से भरा गया है तो स्वयं की हस्तलिपि में नही होना श्री राहुल शर्मा ने बताया। पृष्ठ संख्या 49 मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को नेगोशियेशन के लिये लिखे गये पत्र की मूल प्रति है जो पत्र कमांक 408 दिनांक 19.09.2023 के द्वारा जारी है जिस पर अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर के बारे में पूछने पर श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक से पूछने पर बताया कि ये हस्ताक्षर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी मनीषा के है। उक्त कार्यादेश किसके हाथ से भरा गया है तो श्री राहुल शर्मा ने स्वयं की हस्तलिपि में नही होना बताया। पृष्ठ संख्या 50 पर कार्यालय नगरपालिका विराटनगर के बिल वाउचर की छायाप्रति है जिस पर हस्ताक्षर बाबत पूछने पर श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक ने अध्यक्ष के रूप में सुमिता व अधिशासी अधिकारी के रूप में मनीषा के हस्ताक्षर होना बताया तथा नीचे 9,50,400/– रूपये अंकित है।

<u>नम्बर 04 पत्रावली सूत्र सूचना के संलग्न पत्र में 08 नम्बर कमांक पर दर्ज है–</u>

उक्त पत्रावली पीले रंग के फाईल कवर में संधारित है जिस फाइल पर बॉल पैन से श्याम वीटीआर 60 वॉट स्ट्रीट लाइट अंकित है जिसके अन्दर 01 से 47 तक पेज लगे हुए है जिसमें पृष्ठ संख्या 01 से 03 तक नगरपालिका मण्डल विराटनगर कोटपुतली बहरोड राज. आदेश या कार्यवाही हस्ताक्षर सहित टाईपशुदा अंकित है जिसके प्रथम पृष्ठ पर यू–नोट जिसमें दिपावली के त्यौहार पर पालिका में 60 वॉट एलईडी स्ट्रीट लाइट सप्लाई कार्य अंकित है जिसके नीचे अग्रेसित कर्मी के हस्ताक्षर नहीं है ना ही तारीख अंकित है। नीचे अधिशाषा अधिकारी व अध्यक्ष के हस्ताक्षर है। जो श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक ने अधिशाषी अधिकारी के रूप में मनिषा यादव व अध्यक्ष के स्थान पर श्रीमती सुमिता सैनी के हस्ताक्षर होना बताये है। अधिशाषी अधिकारी द्वारा स्टोर लिपिक को नोटशीट बढायी गयी उस पर स्टोर लिपिक के नीचे टाईप शुदा टिप्पणी अंकित है किन्तु हस्ताक्षर व दिनांक नहीं है ना ही स्टोर लिपिक के द्वारा कोस किया हुआ है। नोटशीट पर पैरा कमांक नही है। उक्त पृष्ठ संख्या 02 व 03 पर अध्यक्ष व अधिशाषी अधिकारी के पृथक पृथक जगह पर हस्ताक्षर है किन्तु स्टोर लिपिक के स्थान पर किसी के भी हस्ताक्षर नही है। पृष्ठ संख्या 04 में दर अनुमोदन कमेटी के सदस्य में अधिशाषी अधिकारी, अध्यक्ष, जेईएन/एसआई, लेखाकार, शाखा प्रभारी, टाईपशुदा अंकित है किन्तु अधिशाषी अधिकारी व अध्यक्ष के हस्ताक्षर के अलावा कमेटी के अन्य तीन सदस्यों के हस्ताक्षर नही है ना ही दिनांक अंकित है। पृष्ठ संख्या 05 पर नेगोसियशन के लिये पत्रावली अधिशाषी अधिकारी को प्रस्तुत की है लेकिन पत्रावली किसी कार्मिक द्वारा बढायी नही गयी है एवं नोटशीट में नेगोशियसन दर का अंकन नही किया गया है, नेगोसियशन की दर जो अनुमोदित की गयी है उस कमेटी के सदस्य के रूम में ईओ एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर है एवं शेष कमेटी के तीन सदस्यों के हस्ताक्षर नही है ना ही तारीख अंकित है। इसी पेज पर कार्यादेश जारी किये जाने हेतु टिप्पणी की गई है जिसमें स्वीकृत दर का उल्लेख नही किया गया है। उक्त टिप्पणी किस कार्मिक के द्वारा प्रस्तुत की गई है का उल्लेख व हस्ताक्षर नही है। उक्त टिप्पणी के बाद अधिशासी अधिकारी ने उक्त टिप्पणी को पढ लेने से सम्बन्धित काट कर अपने हस्ताक्षर किये है। इनमें किसी भी हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नही है। इसमें चार जगह अधिशाषी अधिकारी के हस्ताक्षर

है। पृष्ठ संख्या 06 पर बॉल पेन से अंकित है कि 60 वॉट स्ट्रीट लाइट सामान सप्लाई कर बिल प्रस्तुत किया गया है जिसका इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :– नोटशीट पर अग्रेषित करने वाले किसी भी कार्मिक का उल्लेख/हस्ताक्षर नही है व ना ही अधिशासी अधिकारी को बढाने पर अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर है। उक्त लिखावट श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि क्या यह आपकी हस्तलिखित है जिन्होने उक्त लिखावट देखकर कहा कि यह मेरी लिखावट नही है। पृष्ठ संख्या 07 व 08 आदेशिका की खाली नोटशीट है। पेज नम्बर 09 से 11 तक नगरपालिका विराटनगर निविदा सूचना कमांक 448, 440 व 444 दिनांक 11.09.2023 की फोटोप्रति है जिन पर नगरपालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर है। पेज नम्बर 12 पर नगरपालिका विराटनगर पालिका में पालिका में 60 वॉट एलईडी स्ट्रीट लाइट सप्लाई कार्य सम्बन्धित निविदा प्रारूप मैसर्स आर.एस. एन्टरप्राईजेज द्वारा भरा गया फार्म जिस पर निविदादाता व अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर जयपुर के हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर के सम्बन्ध में श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक ने बताया कि यह हस्ताक्षर अधिशासी अधिकारी मनीषा यादव के है। पृष्ठ संख्या 13 से 21 तक फर्म आर.एस. एन्टरप्राइजेज राम सिंह लोमोड़ के जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्योग रजिस्ट्रेशन, संस्था के आधार की छायाप्रतियां है। पृष्ठ संख्या 22 पर फर्म आर.एस. एन्टरप्राइजेज की तरफ से दिनांक 18.09.2023 को अमानत राशि नगद 19800/– रूपये की रसीद की छायाप्रति है जिस पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर की मोहर पर हस्ताक्षर बाबत पूछने पर श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक से पूछने पर बताया कि यह हस्ताक्षर रिंकू यादव कैशियर नगरपालिका पावटा के है। पृष्ठ संख्या 23 सफेद रंग का अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर को सम्बोधित खुला हुआ लिफाफा संलग्न है जिस पर दो जगह हस्ताक्षर है जिनके लिये श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि यह हस्ताक्षर किसके है तो उन्होने देखकर बताया कि यह हस्ताक्षर मनीषा यादव अधिशासी अधिकारी विराटनगर एवं अध्यक्ष नगरपालिका श्रीमती सुमिता सैनी के है जो मूल हस्ताक्षर है। पेज नम्बर 24 पर नगरपालिका विराटनगर पालिका में 60 वॉट एलईडी स्ट्रीट लाइट सप्लाई कार्य सम्बन्धित निविदा प्रारूप श्री श्याम एन्टरप्राइजेज द्वारा भरा गया फार्म जिस पर निविदादाता के हस्ताक्षर है तथा अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर जयपुर की दो जगह मोहर है जिन पर हस्ताक्षर है। पृष्ठ संख्या 25 से 30 तक फर्म श्री श्याम एन्टरप्राइजेज के प्रोपराईटर रामदयाल यादव के जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्योग रजिस्ट्रेशन, संस्था के आधार की छायाप्रतियां है। पृष्ठ संख्या 31 पर फर्म श्री श्याम एन्टरप्राइजेज की तरफ से दिनांक 18.09.2023 को अमानत राशि नगद 19800/– रूपये की रसीद की छायाप्रति है जिस पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर की मोहर पर हस्ताक्षर नही है। पृष्ठ संख्या 32 पर पीले रंग का अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर को सम्बोधित खुला हुआ लिफाफा संलग्न है जिस पर दो जगह हस्ताक्षर है जिनके लिये श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि यह हस्ताक्षर किसके है तो उन्होने देखकर बताया कि यह हस्ताक्षर मनीषा यादव अधिशासी अधिकारी विराटनगर एवं अध्यक्ष नगरपालिका श्रीमती सुमिता सैनी के है जो मूल हस्ताक्षर है। पेज नम्बर 33 पर नगरपालिका विराटनगर पालिका में 60 वॉट एलईडी स्ट्रीट लाइट सप्लाई कार्य सम्बन्धित निविदा प्रारूप मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा भरा गया फार्म जिस पर दोनो जगह निविदादाता के हस्ताक्षर है तथा दो जगह पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर जयपुर की मोहर व हस्ताक्षर है। उक्त हस्ताक्षर के बारे में श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि यह हस्ताक्षर किसके है तो उन्होने देखकर बताया कि यह छायाप्रति हस्ताक्षर मनीषा यादव अधिशासी अधिकारी विराटनगर के है व यह कार्यालय मोहर है। पृष्ठ संख्या 34 से 39 तक फर्म मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी भैरू राम गुर्जर के जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्योग रजिस्ट्रेशन, संस्था के आधार की छायाप्रतियां है। पृष्ठ संख्या 40 पर फर्म मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की तरफ से दिनांक 18.09.2023 को अमानत राशि नगद 19800/– रूपये की रसीद की छायाप्रति है जिस पर हस्ताक्षर बाबत् श्री राहुल शर्मा से पूछने पर बताया कि यह हस्ताक्षर मेरे नही है यह हस्ताक्षर रिंकू कैशियर, नगरपालिका पावटा के है। पृष्ठ संख्या 41 फर्म मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी का अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर को सम्बोधित सफेद रंग का खुला हुआ लिफाफा संलग्न है जिस पर दो जगह अंकित हस्ताक्षर बाबत् श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि यह हस्ताक्षर किसके है तो उन्होने देखकर बताया कि यह हस्ताक्षर मनीषा यादव अधिशासी

अधिकारी विराटनगर व नगरपालिका अध्यक्ष सुमिता सैनी के है जो मूल हस्ताक्षर है। पृष्ठ संख्या 42 से 43 पर निविदा सूचना के एसपीपीपी पोर्टल पर अपलोड किये जाने सम्बन्धित दस्तावेज की प्रतिलिपि संलग्न है। पृष्ठ संख्या 44 ई–निविदा सूचना की प्रतिलिपि की छायाप्रति कमांक 473 दिनांक 14.09.2023 है जिस पर श्री राहुल शर्मा ने अधिशासी अधिकारी मनीषा यादव के हस्ताक्षर होना बताये है। पृष्ठ संख्या 45 मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को जारी किये गये कार्यादेश की मूल प्रति कमांक 473 दिनांक 21.09.2023 है जिस पर अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी की मोहर लगी हुई है एवं हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर बावत् श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक ने मनीषा अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष सुमिता सैनी के हस्ताक्षर होना बताये है। उक्त कार्यादेश किसके हाथ से भरा गया है तो स्वयं की हस्तलिपि में नही होना श्री राहुल शर्मा ने बताया। पृष्ठ संख्या 46 मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को नेगोशियेशन के लिये लिखे गये पत्र की मूल प्रति है जो पत्र कमांक 412 दिनांक 19.09.2023 के द्वारा जारी है जिस पर अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर के बारे में पूछने पर श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक से पूछने पर बताया कि ये हस्ताक्षर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी मनीषा के है। उक्त पत्र किसके हाथ से भरा गया है तो श्री राहुल शर्मा ने स्वयं की हस्तलिपि में नही होना बताया। पृष्ठ संख्या 47 पर कार्यालय नगरपालिका विराटनगर के आकस्मिक व्यय बिल वाउचर की छायाप्रति है जिस पर हस्ताक्षर बावत पूछने पर श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक ने अध्यक्ष के रूप में सुमिता व अधिशासी अधिकारी के रूप में मनीषा के हस्ताक्षर होना बताया तथा नीचे 9,47,856/– रूपये अंकित है।

<u>नम्बर 05 पत्रावली सूत्र सूचना के संलग्न पत्र में 09 नम्बर कमांक पर दर्ज है–</u>

उक्त पत्रावली गुलाबी रंग के फाईल कवर में संधारित है जिस फाइल कवर पर बॉल पैन से श्याम वीटीआर 10 लीटर क्षमता प्लास्टिक डस्टबिन अंकित है जिसके अन्दर 01 से 49 तक पेज लगे हुए है जिसमें पृष्ठ संख्या 01 से 03 तक नगरपालिका मण्डल विराटनगर कोटपुतली बहरोड राज. आदेश या कार्यवाही हस्ताक्षर सहित टाईपशुदा अंकित है जिसके प्रथम पृष्ठ पर यू–नोट जिसमें दिपावली के त्यौहार पर पालिका में 10 लीटर क्षमता प्लास्टिक डस्टबिन सप्लाई कार्य अंकित है जिसके नीचे अग्रेरित कर्मी के हस्ताक्षर नहीं है ना ही तारीख अंकित है। नीचे अधिशाषा अधिकारी व अध्यक्ष के हस्ताक्षर है। जो श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक ने अधिशाषी अधिकारी के रूप में मनिषा यादव व अध्यक्ष के स्थान पर श्रीमती सुमिता सैनी के हस्ताक्षर होना बताये है। अधिशाषी अधिकारी द्वारा स्टोर लिपिक को नोटशीट बढायी गयी उस पर स्टोर लिपिक के नीचे टाईप शुदा टिप्पणी अंकित है किन्तु हस्ताक्षर व दिनांक नहीं है ना ही स्टोर लिपिक के द्वारा कोस किया हुआ है। नोटशीट पर पैरा कमांक नही है। उक्त पृष्ठ संख्या 02 व 03 पर अध्यक्ष व अधिशाषी अधिकारी के पृथक पृथक जगह पर हस्ताक्षर है किन्तु स्टोर लिपिक के स्थान पर किसी के भी हस्ताक्षर नही है। पृष्ठ संख्या 04 में दर अनुमोदन कमेटी के सदस्य में अधिशाषी अधिकारी, अध्यक्ष, जेईएन/एसआई, लेखाकार, शाखा प्रभारी, टाईपशुदा अंकित है किन्तु अधिशाषी अधिकारी व अध्यक्ष के हस्ताक्षर के अलावा कमेटी के अन्य तीन सदस्यों के हस्ताक्षर नही है ना ही दिनांक अंकित है। उक्त पर लिखी लेखनी के बावत् श्री राहुल शर्मा व श्री महेन्द्र कुमार जे. ईएन. से पूछने पर दोनो ने स्वयं की हस्तलिखित नही होनो बताया किसी है हमे नही मालुम है होना बताया। पृष्ठ संख्या 05 पर नेगोसियशन के लिये पत्रावली अधिशाषी अधिकारी को प्रस्तुत की है लेकिन पत्रावली किसी कार्मिक द्वारा बढायी नही गयी है, नेगोसियशन की दर जो अनुमोदित की गयी है उस कमेंटी के सदस्य के रूम में ईओ एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर है एवं शेष कमेटी के तीन सदस्यो के हस्ताक्षर नही है ना ही तारीख अंकित है। इनमें किसी भी हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नही है। इसमें चार जगह अधिशाषी अधिकारी के हस्ताक्षर है। पृष्ठ संख्या 06 पर बॉल पेन से अंकित है कि 10 लीटर क्षमता प्लास्टिक डस्टबिन सामान सप्लाई कर बिल प्रस्तुत किया गया है जिसका इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :– नोटशीट पर अग्रेषित करने वाले किसी भी कार्मिक का उल्लेख/हस्ताक्षर नही है व ना ही अधिशासी अधिकारी को बढाने पर अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर है। उक्त लिखावट श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि क्या यह आपकी हस्तलिखित है जिन्होने उक्त लिखावट देखकर कहा कि यह मेरी लिखावट नही है। पृष्ठ संख्या 07 व 08 आदेशिका की खाली नोटशीट है। पेज नम्बर 09 पर नगरपालिका विराटनगर निविदा सूचना कमांक 439 दिनांक 11.09.2023 की फोटोप्रति है जिन पर नगरपालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर है। पेज नम्बर 10 से 12 पर नगरपालिका विराटनगर 10 लीटर क्षमता प्लास्टिक डस्टबिन सप्लाई

कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कमांक 437 दिनांक 11.09.2023 संलग्न है जिस पर श्री राहुल शर्मा ने नगरपालिका विराटनगर के अधिशासी अधिकारी मनीषा यादव व अध्यक्ष सुमिता सैनी के हस्ताक्षर होना बताये है। पृष्ठ संख्या 13 पर निविदा प्रारूप मैसर्स आर.एस. एन्टरप्राईजेज द्वारा भरा गया फार्म जिस पर निविदादाता के हस्ताक्षर नही है व अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर जयपुर के हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर के सम्बन्ध में श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक ने बताया कि यह हस्ताक्षर अधिशासी अधिकारी मनीषा यादव के है। पृष्ठ संख्या 14 से 22 तक फर्म आर.एस. एन्टरप्राइजेज राम सिंह लोमोड़ के जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्योग रजिस्ट्रेशन, संस्था के आधार की छायाप्रतियां है। पृष्ठ संख्या 23 पर फर्म आर.एस. एन्टरप्राइजेज की तरफ से दिनांक 18.09.2023 को अमानत राशि नगद 24750/– रूपये की रसीद की छायाप्रति है जिस पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर की मोहर पर हस्ताक्षर बाबत पूछने पर श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक से पूछने पर बताया कि यह हस्ताक्षर रिंकू यादव कैशियर नगरपालिका पावटा के है। पृष्ठ संख्या 24 सफेद रंग का अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर को सम्बोधित खुला हुआ लिफाफा संलग्न है जिस पर दो हस्ताक्षर है जिनके लिये श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि यह हस्ताक्षर किसके है तो उन्होने देखकर बताया कि यह हस्ताक्षर मनीषा यादव अधिशासी अधिकारी विराटनगर एवं अध्यक्ष नगरपालिका श्रीमती सुमिता सैनी के है जो मूल हस्ताक्षर है। पेज नम्बर 25 पर नगरपालिका विराटनगर पालिका में प्लास्टिक के छोटे डस्टबिन सप्लाई कार्य सम्बन्धित निविदा प्रारूप श्री श्याम एन्टरप्राइजेज द्वारा भरा गया फार्म जिस पर निविदादाता के हस्ताक्षर नही है तथा अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर जयपुर की दो जगह मोहर है जिन पर हस्ताक्षर है। पृष्ठ संख्या 26 से 31 तक फर्म श्री श्याम एन्टरप्राइजेज के प्रोपराईटर रामदयाल यादव के जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्योग रजिस्ट्रेशन, संस्था के आधार की छायाप्रतियां है। पृष्ठ संख्या 32 पर फर्म श्री श्याम एन्टरप्राइजेज की तरफ से दिनांक 18.09.2023 को अमानत राशि नगद 24750/– रूपये की रसीद की छायाप्रति है जिस पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर की मोहर पर हस्ताक्षर के सम्बन्ध में श्री राहुल शर्मा ने बताया कि ये हस्ताक्षर रिंकु यादव कैशियर पावटा के है। पृष्ठ संख्या 33 पर पीले रंग का अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर को सम्बोधित खुला हुआ लिफाफा संलग्न है जिस पर दो के हस्ताक्षर है जिनके लिये श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि यह हस्ताक्षर किसके है तो उन्होने देखकर बताया कि यह हस्ताक्षर मनीषा यादव अधिशासी अधिकारी विराटनगर एवं अध्यक्ष नगरपालिका श्रीमती सुमिता सैनी के है जो मूल हस्ताक्षर है। पेज नम्बर 34 पर नगरपालिका विराटनगर पालिका में प्लास्टिक के छोटे डस्टबिन सप्लाई कार्य सम्बन्धित निविदा प्रारूप मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा भरा गया फार्म जिस पर दोनो जगह निविदादाता के हस्ताक्षर नही है तथा दो जगह पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर जयपुर की मोहर व हस्ताक्षर है। उक्त हस्ताक्षर के बारे में श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि यह हस्ताक्षर किसके है तो उन्होने देखकर बताया कि यह हस्ताक्षर मनीषा यादव अधिशासी अधिकारी विराटनगर के है व यह कार्यालय मोहर है। पृष्ठ संख्या 35 से 40 तक फर्म मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी भैरू राम गुर्जर के जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्योग रजिस्ट्रेशन, संस्था के आधार की छायाप्रतियां है। पृष्ठ संख्या 41 पर फर्म मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की तरफ से दिनांक 18.09.2023 को अमानत राशि नगद 24750/– रूपये की रसीद की छायाप्रति है जिस पर हस्ताक्षर बावत् श्री राहुल शर्मा से पूछने पर बताया कि यह हस्ताक्षर मेरे नही है यह हस्ताक्षर रिंकू कैशियर, नगरपालिका पावटा के है। पृष्ठ संख्या 42 फर्म मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी का अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर को सम्बोधित सफेद रंग का खुला हुआ लिफाफा संलग्न है जिस पर दो जगह अंकित हस्ताक्षर बाबत् श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि यह हस्ताक्षर किसके है तो उन्होंने देखकर बताया कि यह हस्ताक्षर मनीषा यादव अधिशासी अधिकारी विराटनगर व नगरपालिका अध्यक्ष सुमिता सैनी के है जो मूल हस्ताक्षर है। पृष्ठ संख्या 43 से 45 पर निविदा सूचना के एसपीपीपी पोर्टल पर अपलोड किये जाने सम्बन्धित दस्तावेज की प्रतिलिपि संलग्न है। पृष्ठ संख्या 46 ई–निविदा सूचना की प्रतिलिपि की छायाप्रति कमांक 472 दिनांक 14.09.2023 है जिस पर श्री राहुल शर्मा ने अधिशासी अधिकारी मनीषा यादव के हस्ताक्षर होना बताये है। पृष्ठ संख्या 47 मैसर्स श्री श्याम एन्टरप्राइजेज को जारी किये गये कार्यादेश की मूल प्रति कमांक 485 दिनांक 21.09.2023 है जिस पर अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी की मोहर लगी हुई है एवं

हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर बाबत् श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक ने मनीषा अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष सुमिता सैनी के हस्ताक्षर होना बताये है। उक्त कार्यादेश किसके हाथ से भरा गया है तो स्वयं की हस्तलिपि में नही होना श्री राहुल शर्मा ने बताया। पृष्ठ संख्या 48 मैसर्स श्री श्याम एन्टरप्राइजेज को नेगोशियेशन के लिये लिखे गये पत्र की मूल प्रति है जो पत्र कमांक 409 दिनांक 19.09.2023 के द्वारा जारी है जिस पर अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर के बारे में पूछने पर श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक से पूछने पर बताया कि ये हस्ताक्षर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी मनीषा के है। उक्त आदेश किसके हाथ से भरा गया है तो श्री राहुल शर्मा ने स्वयं की हस्तलिपि में नही होना बताया। पृष्ठ संख्या 49 पर कार्यालय नगरपालिका विराटनगर के बिल वाउचर की छायाप्रति है जिस पर हस्ताक्षर बाबत पूछने पर श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक ने अध्यक्ष के रूप में सुमिता व अधिशासी अधिकारी के रूप में मनीषा के हस्ताक्षर होना बताया तथा नीचे 9,50,400/– रूपये अंकित है।

नम्बर 06 पत्रावली सूत्र सूचना के संलग्न पत्र में 10 नम्बर कमांक पर दर्ज है–

उक्त पत्रावली गुलाबी रंग के फाईल कवर में संधारित है जिस पर फाइल नम्बर बॉल पैन से देव लोहे के बड़े डस्टबिन वीटीआर अंकित है जिसके अन्दर 01 से 50 तक पेज लगे हुए है जिसमें पृष्ठ संख्या 01 से 03 तक नगरपालिका मण्डल विराटनगर कोटपुतली बहरोड राज. आदेश या कार्यवाही हस्ताक्षर सहित टाईपशुदा अंकित है जिसके प्रथम पृष्ठ पर यू–नोट जिसमें दिपावली के त्यौहार पर पालिका में लोहे के बड़े डस्टबिन सप्लाई कार्य अंकित है जिसके नीचे अग्रेसित कर्मी के हस्ताक्षर नहीं है ना ही तारीख अंकित है। नीचे अधिशाषा अधिकारी व अध्यक्ष के हस्ताक्षर है। जो श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक ने अधिशाषी अधिकारी के रूप में मनिषा यादव व अध्यक्ष के स्थान पर श्रीमती सुमिता सैनी के हस्ताक्षर होना बताये है। अधिशाषी अधिकारी द्वारा स्टोर लिपिक को नोटशीट बढायी गयी उस पर स्टोर लिपिक के नीचे टाईप शुदा टिप्पणी अंकित है किन्तु हस्ताक्षर व दिनांक नहीं है ना ही स्टोर लिपिक के द्वारा कोस किया हुआ है। नोटशीट पर पैरा कमांक नही है। उक्त पृष्ठ संख्या 02 व 03 पर अध्यक्ष व अधिशाषी अधिकारी के पृथक पृथक जगह पर हस्ताक्षर है किन्तु स्टोर लिपिक के स्थान पर किसी के भी हस्ताक्षर नही है। पृष्ठ संख्या 04 में दर अनुमोदन कमेटी के सदस्य में अधिशाषी अधिकारी, अध्यक्ष, जेईएन/एसआई, लेखाकार, शाखा प्रभारी, टाईपशुदा अंकित है किन्तु अधिशाषी अधिकारी व अध्यक्ष के हस्ताक्षर के अलावा कमेटी के अन्य तीन सदस्यों के हस्ताक्षर नही है ना ही दिनांक अंकित है। पृष्ठ संख्या 05 पर नेगोसियशन के लिये पत्रावली अधिशाषी अधिकारी को प्रस्तुत की है लेकिन पत्रावली किसी कार्मिक द्वारा बढायी नही गयी है, नेगोसियशन क21 दर जो अनुमोदित की गयी है उस कमेंटी के सदस्य के रूप में अध्यक्ष के हस्ताक्षर है एवं शेष कमेटी के चार सदस्यो के हस्ताक्षर नही है ना ही तारीख अंकित है। इनमें किसी भी हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नही है। पृष्ठ संख्या 06 पर बॉल पेन से अंकित है कि लोहे के बड़े डस्टबिन सामान सप्लाई कर बिल प्रस्तुत किया गया है जिसका इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :– नोटशीट पर अग्रेषित करने वाले किसी भी कार्मिक का उल्लेख/हस्ताक्षर नही है व अधिशासी अधिकारी को बढाने पर अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर है। उक्त लिखावट श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि क्या यह आपकी हस्तलिखित है जिन्होने उक्त लिखावट देखकर कहा कि यह मेरी लिखावट नही है। पृष्ठ संख्या 07 व 08 आदेशिका की खाली नोटशीट है। पेज नम्बर 09 पर नगरपालिका विराटनगर निविदा सूचना कमांक 439 दिनांक 11.09.2023 की फोटोप्रति है जिन पर नगरपालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर है। पेज नम्बर 10 से 12 पर नगरपालिका विराटनगर लोहे के बड़े डस्टबिन सप्लाई कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कमांक 437 दिनांक 11.09.2023 संलग्न है जिस पर श्री राहुल शर्मा ने नगरपालिका विराटनगर के अधिशासी अधिकारी मनीषा यादव व अध्यक्ष सुमिता सैनी के हस्ताक्षर होना बताये है। पृष्ठ संख्या 13 पर निविदा प्रारूप मैसर्स आर.एस. एन्टरप्राईजेज द्वारा भरा गया फार्म जिस पर निविदादाता के हस्ताक्षर है परन्तु अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर जयपुर के हस्ताक्षर नही है। पृष्ठ संख्या 14 से 22 तक फर्म आर.एस. एन्टरप्राइजेज राम सिंह लोमोड़ के जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्योग रजिस्ट्रेशन, संस्था के आधार की छायाप्रतियां है। पृष्ठ संख्या 23 पर फर्म आर.एस. एन्टरप्राइजेज की तरफ से दिनांक 18.09.2023 को अमानत राशि नगद 24750/– रूपये की रसीद की छायाप्रति है जिस पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर की मोहर पर हस्ताक्षर बावत पूछने पर श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक से पूछने पर बताया कि यह हस्ताक्षर रिंकू यादव कैशियर नगरपालिका

पावटा के है। पृष्ठ संख्या 24 सफेद रंग का लिफाफा संलग्न है जिस पर यह उल्लेख नही है कि किसे प्रेषित किया गया है और किसके द्वारा किया गया है, इस लिफाफे पर दो हस्ताक्षर है जिनके लिये श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि यह हस्ताक्षर किसके है तो उन्होने देखकर बताया कि यह हस्ताक्षर मनीषा यादव अधिशासी अधिकारी विराटनगर एवं अध्यक्ष नगरपालिका श्रीमती सुमिता सैनी के है जो मूल हस्ताक्षर है। पेज नम्बर 25 पर नगरपालिका विराटनगर पालिका में लोहे के बडे डस्टबिन सप्लाई कार्य सम्बन्धित निविदा प्रारूप श्री श्याम एन्टरप्राइजेज द्वारा भरा गया फार्म जिस पर निविदादाता के हस्ताक्षर है तथा अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर जयपुर की दो जगह मोहर है जिन पर हस्ताक्षर है। पृष्ठ संख्या 26 से 31 तक फर्म श्री श्याम एन्टरप्राइजेज के प्रोपराईटर रामदयाल यादव के जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्योग रजिस्ट्रेशन, संस्था के आधार की छायाप्रतियां है। पृष्ठ संख्या 32 पर फर्म श्री श्याम एन्टरप्राइजेज की तरफ से दिनांक 18.09.2023 को अमानत राशि नगद 24750/– रूपये की रसीद की छायाप्रति है जिस पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर की मोहर पर हस्ताक्षर के सम्बन्ध में श्री राहुल शर्मा ने बताया कि ये हस्ताक्षर रिंकु यादव कैशियर पावटा के है। पृष्ठ संख्या 33 पर पीले रंग का लिफाफा संलग्न है जिस पर यह उल्लेख नही है कि किसे प्रेषित किया गया है और किसके द्वारा किया गया है, इस लिफाफे पर दो हस्ताक्षर है जिनके लिये श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि यह हस्ताक्षर किसके है तो उन्होने देखकर बताया कि यह हस्ताक्षर मनीषा यादव अधिशासी अधिकारी विराटनगर एवं अध्यक्ष नगरपालिका श्रीमती सुमिता सैनी के है जो मूल हस्ताक्षर है। पेज नम्बर 34 पर नगरपालिका विराटनगर पालिका में लोहे के बड़े डस्टबिन सप्लाई कार्य सम्बन्धित निविदा प्रारूप मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा भरा गया फार्म जिस पर दोनो जगह निविदादाता के हस्ताक्षर है तथा दो जगह पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर जयपुर की मोहर व हस्ताक्षर है। उक्त हस्ताक्षर के बारे में श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि यह हस्ताक्षर किसके है तो उन्होने देखकर बताया कि यह छायाप्रति हस्ताक्षर मनीषा यादव अधिशासी अधिकारी विराटनगर के है व यह कार्यालय मोहर है। पृष्ठ संख्या 35 से 40 तक फर्म मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी मैरू राम गुर्जर के जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्योग रजिस्ट्रेशन, संस्था के आधार की छायाप्रतियां है। पृष्ठ संख्या 41 पर फर्म मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की तरफ से दिनांक 18.09.2023 को अमानत राशि नगद 24750/– रूपये की रसीद की छायाप्रति है जिस पर हस्ताक्षर बाबत् श्री राहुल शर्मा से पूछने पर बताया कि यह हस्ताक्षर मेरे नही है यह हस्ताक्षर रिंकू कैशियर, नगरपालिका पावटा के है। पृष्ठ संख्या 42 फर्म मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी का लिफाफा संलग्न है जिस पर यह उल्लेख नही है कि किसे प्रेषित किया गया है और किसके द्वारा किया गया है, इस लिफाफे पर दो हस्ताक्षर है जिनके लिये श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक को दिखाकर पूछा गया कि यह हस्ताक्षर किसके है तो उन्होने देखकर बताया कि यह हस्ताक्षर मनीषा यादव अधिशासी अधिकारी विराटनगर एवं अध्यक्ष नगरपालिका श्रीमती सुमिता सैनी के है जो मूल हस्ताक्षर है। पृष्ठ संख्या 43 से 45 पर निविदा सूचना के एसपीपीपी पोर्टल पर अपलोड किये जाने सम्बन्धित दस्तावेज की प्रतिलिपि संलग्न है। पृष्ठ संख्या 46 ई–निविदा सूचना की प्रतिलिपि की छायाप्रति कमांक 472 दिनांक 14.09.2023 है जिस पर श्री राहुल शर्मा ने अधिशासी अधिकारी मनीषा यादव के हस्ताक्षर होना बताये है। पृष्ठ संख्या 47 व 48 मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को जारी किये गये कार्यादेश की मूल प्रति कमांक 429 दिनांक 21.09.2023 है जिस पर अध्यक्ष की मोहर लगी हुई है एवं हस्ताक्षर है एवं अधिशासी अधिकारी की मोहर लगी हुई है परन्तु उस पर अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर नही है। उक्त कार्यादेश में किस दर से सामान की सप्लाई की जानी है का उल्लेख नही किया गया है। हस्ताक्षर बाबत् श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक ने अध्यक्ष सुमिता सैनी के हस्ताक्षर होना बताये है। उक्त कार्यादेश किसके हाथ से भरा गया है तो स्वयं की हस्तलिपि में नही होना श्री राहुल शर्मा ने बताया। पृष्ठ संख्या 49 मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को नेगोशियेशन के लिये लिखे गये पत्र की मूल प्रति है जो पत्र कमांक 410 दिनांक 19.09.2023 के द्वारा जारी है जिस पर नगरपालिका विराटनगर अधिशासी अधिकारी की मोहर लगी हुई है एवं उसके हस्ताक्षर नही है। पृष्ठ संख्या 50 पर कार्यालय नगरपालिका विराटनगर के बिल वाउचर की छायाप्रति है जिस पर हस्ताक्षर बाबत पूछने पर श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक ने अध्यक्ष के रूप में सुमिता व अधिशासी अधिकारी के रूप में मनीषा के हस्ताक्षर होना बताया तथा नीचे 9,46,080/–

रूपये अंकित है। उपर्युक्त 06 पत्रावलियो के अवलोकन से तत्कालीन अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष नगरपालिका विराटनगर की उपापन में अनियमितता, फर्म मैसर्स श्याम एन्टरप्राइजेज व मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को अवैध भुगतान कर राजकोष को हानि पहुंचाना पाया जाने पर उपर्युक्त 06 पत्रावलियो के प्रथम पृष्ठ व अंतिम पृष्ठ पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री पुष्पेन्द्र व श्री शंकर लाल, श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक व कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार कनिष्ठ अभियन्ता नगरपालिका विराटनगर व श्री लोकेश कुमार मीणा सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, भ्रनिब्यूरो, जयपुर व मेरे हस्ताक्षर कर कब्जा एसीबी लिये गये। उक्त 06 पत्रावलियो की दो–दो छायाप्रतियां करवाई गई जिसमें से एक–एक प्रति अधिशासी अधियंता को दी जाकर दूसरी प्रति शामिल जांच की गई।

श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक ने अपने कार्यालय कक्ष में से स्टॉक रजिस्टर मांगने पर दो रजिस्टर निकालकर पेश किये जिनका अवलोकन किया गया। प्रथम रजिस्टर बिजली सामान एवं अन्य सामान अस्थाई स्टॉक रजिस्टर वर्ष 2018–19 जिसकी लाल रंग की जिल्द है। जिसके पृष्ठ ए पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर द्वारा पृष्ठ संख्या 01 से 200 तक सही है प्रमाणितकर्ता के रूप में अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर के है जो श्री अरूण कुमार शर्मा तत्कालीन अधिशासी अधिकारी विराटनगर के है। बी पृष्ठ पर इण्डेक्स कुल 47 आइटम्स के नाम व उनके आगे पृष्ठ संख्या अंकित है। इसी प्रकार स्टेशनरी अस्थाई रजिस्टर 2020 जिसकी लाल रंग की जिल्द है जिसमें ए पृष्ठ पर स्टॉक रजिस्टर में पृष्ठ संख्या 01 से 304 तक सही है प्रमाणितकर्ता के रूप में अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर के है जो श्री अरूण कुमार शर्मा तत्कालीन अधिशासी अधिकारी विराटनगर के है। बी और सी पृष्ठ पर इण्डेक्स में कुल 01 से 121 तक आइटम्स के नाम और पृष्ठ संख्या अंकित है। उक्त दोनो रजिस्टरो में उपर्युक्त वर्णित 06 पत्रावलियों का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज बाबत पूछने पर श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक ने बताया कि उपर्युक्त वर्णित 06 पत्रावलियो के टेण्डर के सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नही थी ना ही उन पत्रावलियो के किसी भी पृष्ठ पर मेरे कोई हस्ताक्षर या टिप्पणी है। सामान मुझे प्राप्त नही होने के कारण मैंने इन दोनो स्टॉक रजिस्टरो में इन्द्राज नही किया है ना ही मेरे स्टोर में यह सामान आया है। उक्त दोनो रजिस्टरो के अलावा अन्य कोई स्टॉक रजिस्टर नही होना बताया। उक्त दोनो स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 01 व अंतिम पृष्ठ पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री पुष्पेन्द्र व श्री शंकर लाल, श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक व कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार कनिष्ठ अभियन्ता नगरपालिका विराटनगर व श्री लोकेश कुमार मीणा सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, भ्रनिब्यूरो, जयपुर व मेरे हस्ताक्षर कर कब्जा एसीबी लिये गये। उक्त दोनो रजिस्टरो की दो छायाप्रतियां करवाई गई जिसमें से एक प्रति अधिशासी अधियंता को दी जाकर दूसरी प्रति शामिल जांच की गई। उक्त स्टॉक रजिस्टर के कम में कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार कनिष्ठ अभियंता, श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक व दोनो स्वतंत्र गवाहो को श्री ओमप्रकाश कानि. विडियोग्राफर के साथ पृथक से फर्द निरीक्षण मौका तैयार की गई।

श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक द्वारा उपर्युक्त वर्णित 06 पत्रावलियो के फर्म्स को भुगतान सम्बन्धित प्री पे मेनेजर द्वारा डाउनलोड किये गये बिल आउटर और इनर की प्रति पृष्ठ संख्या 01 से 12 तक निकाल कर प्रस्तुत की। दस्तावेजात पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये व आकस्मिक निरीक्षण की फर्द तैयार की गई तथा नगर पालिका विराट नगर के पुरानी नगर पालिका बिल्डिंग, सामुदायिक भवन रेन बसेरा स्थित स्टोर रूम का मौका निरीक्षण कर वीडियोग्राफी करते हुए फर्द निरीक्षण तैयार की। वीडियोग्राफी हेतु उपयोग में लिये गये एस.डी. कार्ड से अनुसंधान हेतु तीन डी.वी.डी. तैयार कर शामिल पत्रावली की गई व एस.डी. कार्ड को जरिये फर्द सील मोहर किया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। दौराने जांच श्री राहुल शर्मा कनिष्ठ सहायक, श्री महेन्द्र कुमार गुर्जर कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय नगर पालिका विराटनगर से तथ्यों के संबंध में अनुसंधान किया गया। फर्म देव कन्स्ट्रक्शन कंपनी के एच.डी.एफ.सी. बैंक के खाता संख्या 50200067887661 की दिनांक 01.08.2023 से 27.12.2023 तक एवं श्याम कन्स्ट्रक्शन कंपनी के बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता संख्या 4352020000459 का दिनांक 01.09.2023 से 28.12.2023 तक का बैंक स्टेटमेंट प्राप्त किया गया। जिसमें इन फर्मो के उपरोक्त खातों में नगर पालिका विराट नगर की उक्त 6 निविदाओं से संबंधित राजकोष की राशि का भुगतान होना पाया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त समस्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि मनीषा यादव, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका पावटा तत्कालीन अतिरिक्त चार्ज नगर पालिका

विराटनगर, सुमिता सैनी अध्यक्ष, नगर पालिका विराट नगर द्वारा व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार करते हुए राजकीय राशि के गबन के उद्देश्य से आपराधिक षड़यन्त्र रचकर इस षड़यन्त्र की परिणिती में प्रोपराईटर श्री भैरूराम गुर्जर फर्म मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कंपनी विराटनगर, प्रोपराईटर श्री रामदयाल यादव श्री श्याम एन्टरप्राईजे विराटनगर, रिंकू यादव, कैशियर नगर पालिका पावटा व अन्य को सम्मिलित करते हुए स्वयं के स्तर पर लोक उपापन में भारी अनियमितताएं करते हुए कुल 6 निविदाएं जारी करते हुए फर्म मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कंपनी विराटनगर को नगर पालिका विराटनगर में पोल बैंड, नट बोल्ट व नगर पालिका में लोहे के बड़े डस्टबीन सप्लाई की दो निविदाओं का कार्यादेश जारी करते हुए किसी प्रकार का कोई सामान नगर पालिका में प्राप्त किये बिना/नगर पालिका क्षेत्र में उपयोग किये बिना दोनों निविदाओं के पेटे 9,85,500 रूपये व 9,85,500 रूपये कुल 19,71,000 रूपये का अवैध भुगतान किया गया।

इसी प्रकार श्री श्याम एन्टरप्राईजे विराटनगर को नगर पालिका विराटनगर में क्लोथ कैरी बैग सप्लाई, 60 वाट एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट सप्लाई, प्लास्टिक के छोटे डस्टबीन सप्लाई, फेज वायर (25X25) सप्लाई की चार निविदाओं का कार्यादेश जारी करते हुए किसी प्रकार का कोई सामान नगर पालिका में प्राप्त किये बिना/नगर पालिका क्षेत्र में उपयोग किये बिना चारों निविदाओं के पेटे 9,88,800 रूपये, 9,90,000 रूपये, 9,87,350 रूपये, 9,90,000 रूपये कुल 39,56,150 रूपये का अवैध भुगतान किया गया।

इस प्रकार मनीषा यादव, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका पावटा तत्कालीन अतिरिक्त चार्ज नगर पालिका विराटनगर, सुमिता सैनी अध्यक्ष, नगर पालिका विराट नगर, प्रोपराईटर श्री भैरूराम गुर्जर फर्म मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कंपनी विराटनगर, प्रोपराईटर श्री रामदयाल यादव श्री श्याम एन्टरप्राईजे विराटनगर, रिंकू यादव, कैशियर नगर पालिका पावटा व अन्य के द्वारा आपराधिक षड़यन्त्र करते हुए राजकीय राशि 59,27,150 रूपये का बेईमानी व कपटपूर्ण आशय से बिना सामान क्रय किये मिथ्या दस्तावेज तैयार कर विभिन्न फर्मों को भुगतान करके धारा 13(1)(ए)/ 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018), 409, 120बी भा.दं.सं. का अपराध कारित किया। अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने पर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

24/12/2021

(सुरेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ए)/13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 409,120बी भादसं में आरोपीगण 1. श्रीमती मनीषा यादव पत्नी/पुत्री श्री सुबे सिंह यादव, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड़ तत्कालीन अतिरिक्त चार्ज नगरपालिका विराटनगर 2. श्रीमती सुमिता सैनी पत्नी/पुत्री श्री नरेन्द्र कुमार सैनी, अध्यक्ष, नगरपालिका विराटनगर 3. श्री भैरूराम गुर्जर प्रोपराईटर फर्म मैसर्स देव ट्रेड़िग एण्ड कन्सट्रक्शन कम्पनी विराटनगर 4. श्री रामदयाल यादव प्रोपराईटर फर्म श्री श्याम एन्टरप्राईजेज विराटनगर 5. श्री रिंकू यादव, कैशियर, नगरपालिका पावटा व अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 316/2023 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर प्रतियॉ नियमानुसार कताकर जारी की गई।

29.12.23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

दिनांक 29.12.2023

कमांकः- 3201-05

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-1, जयपुर।
2. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-द्वितीय जयपुर।

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।